



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2350]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 7, 2013/आश्विन 15, 1935

No. 2350]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 2013/ASVINA 15, 1935

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2013

आय-कर

का.आ. 3034(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 47 के खंड (XVI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिवर्ती बंधक स्कीम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम प्रतिवर्ती बंधक (संशोधन) स्कीम, 2013 है ।  
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।
2. प्रतिवर्ती बंधक स्कीम, 2008 में,—  
(1) पैरा (2) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
“(कख) “वार्षिकी स्रोत वाली संस्था” से भारतीय जीवन बीमा निगम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कोई भी अन्य बीमाकर्ता अभिप्रेत हैं ;”;  
(2) पैरा (3) के उपपैरा (2) में, “उपनियम (1)” शब्द, कोष्ठक और संख्या के स्थान पर, “उपपैरा (1)” शब्द, कोष्ठक और संख्या रखे जाएंगे ;  
(3) पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(5) ऋण का संवितरण-अनुमोदित उधारदाता संस्था ऋण का संवितरण,-  
(क) प्रतिवर्ती बंधककर्ता को निम्नलिखित एक या अधिक प्रकार से कर सकेगी, अर्थात् :—  
(i) अनुमोदित उधारदाता संस्था और प्रतिवर्ती बंधककर्ता के बीच पारस्परिक रूप से विनिश्चित आवधिक संदाय ;  
(ii) एक या अधिक अवस्थाओं में एकमुश्त संदाय उस सीमा तक कि एकमुश्त संदाय के रूप में संवितरित रकम का योग मंजूर की गई कुल ऋण रकम के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो ;  
(ख) प्रतिवर्ती बंधककर्ता को वार्षिकी की रीति से आवधिक संदायों के प्रयोजनों के लिए वार्षिकी स्रोत वाली संस्था को भागतः या पूर्णतः कर सकेगी ।”;

- (4) पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “6. प्रतिवर्ती बंधक ऋण की अवधि- प्रतिवर्ती बंधक के अधीन ऋण,-
- (i) प्रतिवर्ती बंधककर्ता और अनुमोदित उधारदाता संस्था द्वारा करार पर हस्ताक्षर की तारीख से बीस वर्ष की अवधि से अधिक के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा, जहां पर ऋण पैरा 5 के खंड (क) के अनुसार संवितरित किया गया है ;
- (ii) उधारदाता के अवशिष्ट जीवनकाल से अधिक के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा, जहां पर ऋण पैरा 5 के खंड (ख) के अनुसार संवितरित किया गया है ।”

[अधिसूचना सं. 79/2013/फा. सं. 149/54/2013-टीपीएल]

आशीष मोहंती, अवर सचिव

**टिप्पण** :—मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.2310(अ), तारीख 30 सितंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2013

**Income-tax**

**S.O. 3034 (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (XVI) of section 47 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Reverse Mortgage Scheme, 2008, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Reverse Mortgage (Amendment) Scheme, 2013.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Reverse Mortgage Scheme, 2008, -
  - (1) in paragraph (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
 

“(ab) “annuity sourcing institution” means Life Insurance Corporation of India or any other insurer registered with the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);” ;
  - (2) in paragraph (3), in sub-paragraph (2), for the word, brackets and number “sub-rule (1)”, the word, brackets and number “sub-paragraph (1)” shall be substituted;
  - (3) for paragraph(5), the following paragraph shall be substituted, namely:-
  - (4) “5. Disbursement of loan. - The approved lending institution may disburse the loan, -
    - (a) to the reverse mortgagor by any one or more of the following modes, namely:-
      - (i) periodic payments to be decided mutually between the approved lending institution and the reverse mortgagor;
      - (ii) lump-sum payment in one or more tranches, to the extent that the aggregate of the amount disbursed as lump sum payments does not exceed fifty per cent of the total loan amount sanctioned; or
    - (b) in part or in full, to the annuity sourcing institution for the purposes of periodic payments by way of annuity to the reverse mortgagor.”;
  - (4) for paragraph (6), the following paragraph shall be substituted, namely:-
 

“6. Period of reverse mortgage loan.- The loan under reverse mortgage shall not be granted for a period exceeding,-

    - (i) twenty years from the date of signing the agreement by the reverse mortgagor and the approved lending institution, where the loan is disbursed in accordance with clause (a) of Paragraph 5;
    - (ii) the residual life time of the borrower, where the loan is disbursed in accordance with clause (b) of Paragraph 5.”.

[Notification No.79 /2013/ F.No.149/54/2013-TPL]

ASHIS MOHANTY, Under Secy.

**Note.** - The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2310 (E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2008.